पत्रांकः— 04/NULM- 61(PF-1)/2015-16/ 1471 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः—

संयुक्त सचिव—सह—उप निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम एवं
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत
(औरंगाबाद / सहरसा / सासाराम / हाजीपुर / सिवान / बेतिया / मोतिहारी / किशनगंज / बक्सर / जहानाबाद / लखीसराय / नवादा / जमुई / अररिया / मधुबनी / सीतामढ़ी / गोपालगंज / सुपौल / समस्तीपुर / शेखपुरा / मधेपुरा / भभुआ / खगड़िया / अरवल / बांका / शिवहर / बोधगया / राजगीर / लालगंज / सुल्तानगंज / हवेलीखड़गपुर / गोगरी जमालपुर / नवगछिया / अमरपुर / वारसलीगंज / झाझा)।

पटना, दिनांकः 11/06/18

विषयः— **शहरी आश्रयविहिनों के लिए संचालित आश्रय स्थलों / रैन बसेरों की स्थिति में सुधार लाने एवं सुचारू रूप संचालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि DAY-NULM के अधीन Shelter For Urban Homeless (SUH) शहरी गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से आश्रयविहिनों को आश्रय स्थल उपलब्ध कराया जाना है। नगर निकायों के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से अवस्थित रैन बसेरों एवं नवनिर्मित आश्रय स्थलों के प्रचालन व प्रबंधन हेतू नगर निकायों को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा इसके प्रचालन व प्रबंधन हेतु नगर निकायों को मार्गदर्शिका भी निर्गत है। नगर निकायों के द्वारा विभागीय मार्गनिर्देशिका के अनुसार आश्रय स्थल का प्रचालन व प्रबंधन सुनिश्चित नहीं कराये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हो रही है।

उल्लेखनीय है कि विधान सभा एवं विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा रैन बसेरों / आश्रय स्थलों की जर्जर स्थिति एवं इसे अतिकमित किये जाने के सबंध में कई प्रश्न पूछे गये जिससे विभाग को असहज स्थित का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा SUH योजना की समीक्षा के कम में निदेशित किया गया है कि सभी रैन बसरों एवं आश्रय स्थलों की स्थिती में यथशीघ्र सुधार कर इसका प्रचालन एवं प्रबंधन सुचारू रूप से कराया जाय ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों तक पुहँचाया जा सके।

अतः निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जायः—

1. जिस रैन बसेरों / आश्रय स्थलों को अतिकमित किया गया है उसे यथाशीघ्र अतिकमण मुक्त कराया जाय।
2. विभागीय मार्गनिर्देशिका के अनुसार रैन बसेरों / आश्रय स्थलों पर सभी मूलभूत सुविधाओं एवं उपष्करों यथा— बिजली, पानी, शौचालय, लॉकर, बेड, कम्बल चादर, किचन का सामान आदि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. रैन बसेरों / आश्रय स्थलों का प्रचालन एवं प्रबंधन स्वयं सहायता समूह के नगर / क्षेत्र स्तरी संगठन (ALO/CLF) के माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. रैन बसेरों / आश्रय स्थलों पर साफ—सफाई एवं रंग रोगन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
5. आश्रय स्थल / रैन बसेरों का प्रवेश द्वार दिव्यांगों / वृद्धों के लिए बाधामुक्त हो इसके लिए समुचित व्यवस्था यथा—रैम्प का निर्माण आदि सुनिश्चित किया जाय।
6. आश्रय स्थल के प्रचालन व प्रबंधन में लगाये गये संगठनों (ALO/CLF) को समय से भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

8. यदि आश्रय स्थलों/रैन बसेरों को जिर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता है तो इसका आश्रय स्थलवार प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
9. नवनिर्मित आश्रय स्थल को संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाय एवं निर्माणाधीन आश्रय स्थलों के निर्माण में गति लायी जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जाय। साथ ही नगर निकायों में अवस्थित सभी (नये एवं पुराने) आश्रय स्थलों/रैन बसेरों के वर्तमान स्थिति की जानकारी संलग्न प्रपत्र में 7 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

8/6/18

संयुक्त सचिव–सह–उप निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।

आश्रय स्थल/रैन बसेरों की अद्यतन स्थित उपलब्ध कराने हेतू प्रपत्रः

[illegible]	नगर निकाय का नाम	रैन बसेरा/आश्रय स्थल का नाम एवं पूर्ण पता **(गली/सड़क/मुहल्ला/वार्ड/लैंडमार्क/शहर)**	रैन बसेरा/आश्रय स्थल की स्थिति **(संचालित/असंचालित/पूर्ण रूप से अतिक्रमित)**	आश्रय स्थल की क्षमता **(बेड की संख्या)**	संस्था/संगठन का नाम जिन्हें संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है।	क्या आश्रय स्थल पर SMC का गठन किया गया है **(हॉं/नहीं)**	**आश्रय स्थल पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं (हॉं/नहीं)**								क्या आश्रय स्थल पर लाभुकों, कर्मियों एवं अन्य पंजिकाएं संधारित की जाती हैं ?
							बेड, गद्दे, तकिये, कम्बल, मच्छरदानी	बिजली, लाईट्स, पंखे, इन्वर्टर	CCTV	शौचालय		पेयजल की व्यवस्था	भोजन की व्यवस्था	अन्य सुविधाएं	
										पुरूष शौचालय	महिला शौचालय				
0.															

नगर मिशन प्रबंधक

नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी